



**ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT**

Highlights of Media Bite

17 Sept, 2020

Shri Randeep Singh Surjewala, Shri Gaurav Gogoi, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shri Ravneet Singh Bittu, Dr. Amar Singh and Shri Jasbir Singh Gill addressed Media at at Vijay Chowk, outside Parliament., today

Shri Gaurav Gogoi said- This Government has been eying, how they can take the farmers's land to benefit their capitalist friends, whether is the Land Acquisition Act, whether in the industrial system through the weakening the labour courts and now this three pronged attack on the Indian Agricultural system through the two bills on farming-one related to APMC, the other one is related to contract farming and the third bill which is on essential commodities, a three pronged attack on the Indian farmers. At this time, this Government says- that this is a boom for farmers. This is the blessing for farmers. Are farmers of India foolish? They don't understand the bill, If this bill was in the benefit of Indian farmers, why are the farmers are out on the streets? Why are the farmers in Haryana being beaten by the police?

मंत्री महोदय, आप कहते हैं कि ये किसानों के हित में है और जब हरियाणा का किसान, जब रोड़ पर आ जाता है, तो उसको आप लाठी से मारते हैं। पंजाब में चारों तरफ किसान सड़क पर आ चुका है। ये तो आज जो मंत्री महोदय के जो भाषण थे, this is a honey trap, a honey trap for Indian farmers, बातें मीठी-मीठी लेकिन अगर बिल में देखे तो बिल में ऐसा एक क्लॉज नहीं है, जिससे किसानों को संरक्षण मिल सके, ऐसा एक क्लॉज नहीं है, सारे क्लॉज जो हैं, वो हैं ताकि कॉर्पोरेट लोग कैसे आज की तारीख में बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी सुपरविजन के कैसे इंडियन फार्मर को और एक्सप्लॉइट करें।

चारों तरफ, आप किसान की हालत जानते हैं। आज किसान का जो उत्पादन है, उसको वो मुल्य नहीं मिल रहा है, मजदूर को दिहाड़ी नहीं दे पा रहे हैं, आज जब उस किसान को सरकार की सुरक्षा की जरूरत है, वो सरकार की सुरक्षा कवच भी आप हटा रहे हो। वो एमएसपी की सुरक्षा कवच भी अब हटा रहे हो और बिना किसी सुरक्षा कवच के किसान को बोलना कि जाओ अडानी के साथ नेगोशिएट करो, जाओ अंबानी के साथ नेगोशिएट करो, क्या हमारा भारत का किसान, क्या अडानी-अंबानी के साथ नेगोशिएट कर पाएगा, बिना सुरक्षा कवच के, बिना सरकार के निरीक्षण के? Through this bill, BJP Government, the Prime Minister Modi Ji's Government is only acting as a broker of those industrialists, who want to enter into the Indian Agriculture market.

आज विभिन्न सरकारों के रेवेन्यूस खतरे में हैं। जीएसटी का कंपंसेशन तो बीजेपी सरकार,राज्य सरकारों को नहीं दे पा रही है। जहाँ पर जीएसटी कंपंसेशन राज्य सरकारों को नहीं दे पा रहे हैं, जो रास्ते हैं राज्य सरकारों के इंकम करने के लिए, रेवेन्यूस जनरेट करने के लिए, वो रास्ते भी धीरे-धीरे बंद कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार रेवेन्यूस के कम हो जाएंगे, तो आने वाले समय मे कोविड के लिए आईसीयू बैड कहाँ से खरीदेंगे, अस्पताल कहाँ से बनाएंगे, इंश्योरेंस कैसे देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, नौकरियों की सैलरी कैसे देंगे, तो ये सरकार आँखों के ऊपर काली पट्टी बांधकर राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था की स्थिति और साथ ही साथ किसानों की ये कमर तोड़ रही हैं, ताकि आने वाले निर्वाचनों में उनके बड़े-बड़े उद्योगपति इनके इलेक्शन का पैसा दें।

मैं ज्यादा कुछ और कहना नहीं चाहूँगा, हमारे दोस्त पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू, जिन्होंने आज शानदार भाषण रखा है, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखा है, मैं चाहूँगा कि वो अपनी कुछ बातें आपके बीच रखें।

श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि धन्यवाद, रणदीप सुरजेवाला जी, मीडिया के हमारे इंचार्ज हैं, और जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे डेप्युटी लीडर गौरव जी, अमर सिंह जी और हमारे डिम्पा जी, जसवीर सिंह जी, जो हम पंजाब से हैं, एमपी, दो-तीन बातें हैं बाकि गौरव जी और सुरजेवाला जी रखेंगे, आपके सामने, गौरव जी ने तो रख दीं।

देखों, 2-3 बातें हैं, पहली तो तीनों बिल हैं, किसी में एमएसपी कहीं वर्ड है ही नहीं, जो मिनीमम सपोर्ट प्राइस है, उसकी गारंटी ही नहीं है, हमने तो कहा भी, आपने तो संविधान को नहीं छोड़ा, जो बाबा साहब ने लिखा था, उसको नहीं छोड़ा, उसकी कोई नहीं गारंटी कब बदल लें, ये आप मंत्री जी, नड्डा जी, जो कल प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे, आपकी क्या गारंटी हम समझें और दूसरी बात आप समझिए, ये 5 जून को ऑर्डिनेंस आए थे, उसके बाद एक मेज मक्की जिसे कहते हैं, उसकी फसल आई है, और उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो 1760 रुपए हैं, उसका एमएसपी है, वो 1760 है, और वो सारे देश में बिकी कितनी की है, ये ऑर्डिनेंस आने के बाद खरीद लेता, अडानी, अंबानी, महेन्द्रा कहाँ गए हुए थे, 700 रुपए मैक्सिमम और उससे कम-कम जो रेट है, वो मक्की का बिका है, ये ऑर्डिनेंस आने के बाद, ये सबूत है मोदी सरकार के सामने।

मैं तो हैरान हूँ, पंजाब की बात मैं जरूर करूँगा, जो अकाली दल जो सबसे पुराना अलाई है इनका वो आज पंजाब के 15-15 हजार लोग, किसान, हरियाणा के किसान, देश के किसान सड़कों पर हैं और आज जो कैबिनेट में नहीं बोले, हरसिमरत कौर कैबिनेट में नहीं बोले, आज उनके प्रधान को यहाँ पर बोलना पड़ा, यहाँ बोलेंगे, क्योंकि एक फायदा जरूर है, क्योंकि वोटिंग नहीं होनी कोविड के जरिए, किसी को पर्ची नहीं देनी, ये स्पीकर साहब ने कहा है इससे ये बचाव हो जाएगा, कौन है अगेन्स्ट, कौन नहीं, क्योंकि वोटिंग डिवीजन के साथ नहीं होनी है, सिर्फ यस और नो होनी है, तो बाकी ये मैंने जैसा कहा कि जो ऑर्डिनेंस आप लाए हैं, उसके सामने आप हालात देख लो, उसका क्या हुआ और कहीं भी अगर ये आपने आजमाना है, एमएसपी तो हर स्टेट में देश में रही है, पंजाब, हरियाणा और कहीं, थोड़ा राजस्थान, यूपी कहीं-कहीं है, वो भी थोड़ा, अगर एमएसपी से ज्यादा कोई खरीद करता होता, तो आज तक हर मंडी में बड़े-बड़े जो सरमायादार हैं, वो ज्यादा ले लेते, वो क्यों नहीं खरीदा, क्यों एमएसपी से हर फसल नीची बिकती है, चाहे साउथ में आप चले जाओ, कॉफी की बात करो, पेपर की बात करो, कोकोनट की बात करो और चाहे मेज की, मूंग की दालों की बात करो, कोई रोकने वाला है? आज क्यों नहीं ले रहा, जब एमएसपी खत्म होगी, तो उसके बाद क्या कोई जादू हो जाएगा कि लेने लग जाएंगे।

आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के लिए ये काला दिन माना जाएगा, कि आज 17 तारीख को, मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर किसान और जो धरती है हमारी जहाँ से फसल उगती है, उसके लिए आज सबसे बुरा दिन, काला दिन शब्दों में ये

लिखा जाएगा और ये उस दिन होगा, जिस दिन मोदी जी का जन्म हुआ था, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना किसान विरोधी, मजदूर विरोधी हैं।

अगर किसान मर गया तो साथ में खेत मजदूर मर गया, छोटा दुकानदार मर गया, सब जुड़े हुए हैं, तो मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ दो पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, एक ऑर्डिनेंस के बाद जो फसल बिकती है, उसका हालात आपको मैंने बता दिया और जो आगे हो रहा है, ये अगर मंहगी रेट पर बिकती हों, तो यूपी से क्यों पंजाब में गेहूँ आकर बिके। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर ज्यादा पैसा देता हो तो, पिछले सीजन में बहुत बड़ी तादाद में यूपी से हमारा जो गेहूँ है, वो पंजाब में बिका है, क्योंकि वहाँ पर एमएसपी थी, और एक बात एमएसपी होती है, थोड़े समय के लिए उस समय के बाद कोई भी मुझे इतिहास दिखा दे, साबित कर दे ये सरकार कि एमएसपी के बाद कोई भी फसल, जब वो एमएसपी खत्म हो गई है, एफसीआई के चेयरमैन भी हमारे साथ हैं, कोई भी फसल उससे मंहगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से मंहगी बिकी हो तो हम जवाबदार हैं, आज तक तो बिकी नहीं और जब बड़े- बड़े आएं, 20 साल पहले आए थे पेप्सी वाले, लेस और चिप्स वाले, तो जब आए तो, तो जब फसल बिल्कुल कम होती है, उस समय वो रेट दे देते हैं क्योंकि मिलती ही नहीं, जब बंपर फसल होती है, तो उनके मैनेजर कहते हैं जी नहीं, इससे शुगर हो जाएगी, तो चिप्स बच्चे खाएंगे, बीपी शुगर की प्रॉब्लम आ जाएगी, हम ले नहीं सकते, तो उस वक्त उनको साइज भी याद आता है। तो ऐसे ही अंबानी और अड़ानी ये 10 घराने हैं, मोदी साहब हाथ में जिनसे खेल रहे हैं। क्योंकि हजारों करोड़ इलेक्शन और बड़े-बड़े पैसे हैं, जो इन्होंने लगाने होते हैं अपने दफ्तरों के ऊपर वहाँ से आते हैं।

आपने समय दिया और हमें हमारे स्पीकर और भी बोलेंगे और आगे हमारे सुरजेवाला साहब, हर चीज क्योंकि 250 से ज्यादा कांग्रेस, अकाली, बीजेपी की बात छोड़ो कांग्रेस की, 250 किसान यूनियन हैं, 60 करोड़ किसान और 250 किसान यूनियन्स जो आज सड़कों पर बैठी हैं, उनके साथ बात करें, धन्यवाद।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि 'हरित क्रांति' को हराने की घिनौनी भाजपाई साजिश हैं 'तीन काले कानून'

मोदी सरकार 'कोरोना महामारी' की तरह है, जो खेती-किसानी के लिए जानलेवा साबित हो रही है

खेत-खलिहान को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का षडयंत्र कर रही भाजपा सरकार

मोदी जी कसम किसानों की खाते हैं और दोस्ती मुट्ठीभर पूंजीपतियों से निभाते हैं

आज बाहुबली मोदी सरकार ने संसद में किसान और खेती विरोधी एक क्रूर 'काला अध्याय' लिख डाला। किसान- खेत मजदूर के उज्ज्वल भविष्य को रौंदकर उनके भाग्य में बदहाली, बर्बादी लिख दी।

भारत के भाग्यविधाता व अन्नदाता किसानों को बहुमत वाली बेरहम भाजपा सरकार ने बर्बाद किया और मुट्ठीभर पूंजीपति दोस्तों का सपना साकार किया। देशभर में 62 करोड़ किसान-मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठन इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी सब ऐतराज दरकिनार कर देश को बरगला रहे हैं। अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाईदों की आवाज को दबाया जा रहा है और सड़कों पर किसान-मजदूरों को लाठियों से पिटवाया जा रहा है।

याद कीजिए मोदी सरकार इसी प्रकार के तर्कों के साथ श्री राहुल गांधी व कांग्रेस द्वारा बनाए गए भूमि के 'उचित मुआवज़ा कानून' के खिलाफ भी तीन-तीन अध्यादेश लेकर आई थी। आज फिर किसानों की आजीविका का अंत करने के लिए तीन काले कानून लाई है।

देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेती पर मोदी सरकार हमलावर है। यह एक लाइलाज़ कोरोना महामारी की तरह है, जो खेती और किसानों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। मजदूर-किसान व कांग्रेस 'संसद से सड़क तक' इन काले कानूनों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष लड़ेंगे।

हमारी बुलंद आवाज को बहुमत की गुंडागर्दी से नहीं दबाया जा सकता। मोदी जी के काले कानूनों के खिलाफ किसान व कांग्रेस के मुखर ऐतराज इस प्रकार हैं:-

पहला, अनाज मंडी-सब्जी मंडी यानि APMC को खत्म करने से 'कृषि उपज खरीद व्यवस्था' पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ऐसे में किसानों को न तो 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) मिलेगा और न ही बाजार भाव के अनुसार फसल की कीमत। इसका जीता जागता उदाहरण भाजपा शासित बिहार है। साल 2006 में APMC Act यानि अनाज मंडियों को खत्म कर दिया गया। आज बिहार के किसान की हालत बद से बदतर है। किसान की फसल को दलाल औने-पौने दामों पर खरीदकर दूसरे प्रांतों की मंडियों में मुनाफा कमा MSP पर बेच देते हैं। अगर पूरे देश की कृषि उपज मंडी व्यवस्था ही खत्म हो गई, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसान-खेत मजदूर को होगा और सबसे बड़ा फायदा मुट्ठीभर पूंजीपतियों को।

दूसरा, मोदी सरकार का दावा कि अब किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकता है, पूरी तरह से सफेद झूठ है। आज भी किसान अपनी फसल किसी भी प्रांत में ले जाकर बेच सकता है। परंतु वास्तविक सत्य क्या है? कृषि संसद 2015-16 के मुताबिक देश का 86 प्रतिशत किसान 5 एकड़ से कम भूमि का मालिक है। जमीन की औसत मल्लिक्यत 2 एकड़ या उससे कम है। ऐसे में 86 प्रतिशत किसान अपनी उपज नजदीक अनाज मंडी-सब्जी मंडी के अलावा कहीं और ट्रांसपोर्ट कर न ले जा सकता या बेच सकता है। मंडी प्रणाली नष्ट होते ही सीधा प्रहार स्वाभाविक तौर से किसान पर होगा।

तीसरा, मंडियां खत्म होते ही अनाज-सब्जी मंडी में काम करने वाले लाखों-करोड़ों मजदूरों, आढ़तियों, मुनीम, ढुलाईदारों, ट्रांसपोर्टरों, शेलर आदि की रोजी रोटी और आजीविका अपने आप खत्म हो जाएगी।

चौथा, किसान को खेत के नजदीक अनाज मंडी-सब्जी मंडी में उचित दाम किसान के सामूहिक संगठन तथा मंडी में खरीददारों के आपस के कॉम्पिटिशन के आधार पर मिलता है। मंडी में पूर्व निर्धारित 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) किसान की फसल के मूल्य निर्धारण का बेंचमार्क है। यही एक उपाय है, जिससे किसान की उपज की सामूहिक तौर से 'प्राईस डिस्कवरी' यानि मूल्य निर्धारण हो पाता है। अनाज-सब्जी मंडी व्यवस्था किसान की फसल की सही कीमत, सही वजन व सही बिक्री की गारंटी है। अगर किसान की फसल को मुट्ठीभर कंपनियों मंडी में सामूहिक खरीद की बजाय उसके खेत से खरीदेंगे, तो फिर मूल्य निर्धारण, वजन व कीमत की सामूहिक मोलभाव की शक्ति खत्म हो जाएगी। स्वाभाविक तौर से इसका नुकसान किसान को होगा।

पाँचवां, अनाज-सब्जी मंडी व्यवस्था खत्म होने के साथ ही प्रांतों की आय भी खत्म हो जाएगी। प्रांत 'मार्केट फीस' व 'ग्रामीण विकास फंड' के माध्यम से ग्रामीण अंचल का ढांचागत विकास करते हैं व खेती को प्रोत्साहन देते हैं। उदाहरण के तौर पर पंजाब ने इस गेहूँ सीज़न में 127.45 लाख टन गेहूँ खरीदा। पंजाब को 736 करोड़ रु. मार्केट फीस व इतना ही पैसा ग्रामीण विकास फंड में मिला। आढ़तियों को 613 करोड़ रु. कमीशन मिला। इन सबका भुगतान किसान ने नहीं,

बल्कि मंडियों से गेहूँ खरीद करने वाली भारत सरकार की एफसीआई आदि सरकारी एजेंसियों तथा प्राइवेट व्यक्तियों ने किया। मंडी व्यवस्था खत्म होते ही आय का यह स्रोत अपने आप खत्म हो जाएगा।

छठवां, कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अध्यादेश की आड़ में मोदी सरकार असल में 'शांता कुमार कमेटी' की रिपोर्ट लागू करना चाहती है, ताकि एफसीआई के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद ही न करनी पड़े और सालाना 80,000 से 1 लाख करोड़ की बचत हो। इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव खेत खलिहान पर पड़ेगा।

सातवां, अध्यादेश के माध्यम से किसान को 'ठेका प्रथा' में फंसाकर उसे अपनी ही जमीन में मजदूर बना दिया जाएगा। क्या दो से पाँच एकड़ भूमि का मालिक गरीब किसान बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ फसल की खरीद फरोख्त का कॉन्ट्रैक्ट बनाने, समझने व साईन करने में सक्षम है? साफ तौर से जवाब नहीं में है।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अध्यादेश की सबसे बड़ी खामी तो यही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी देना अनिवार्य नहीं। जब मंडी व्यवस्था खत्म होगी तो किसान केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर निर्भर हो जाएगा और बड़ी कंपनियां किसान के खेत में उसकी फसल की मनमर्जी की कीमत निर्धारित करेंगी। यह नई जमींदारी प्रथा नहीं तो क्या है? यही नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से विवाद के समय गरीब किसान को बड़ी कंपनियों के साथ अदालत व अफसरशाही के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है। ऐसे में ताकतवर बड़ी कंपनियां स्वाभाविक तौर से अफसरशाही पर असर इस्तेमाल कर तथा कानूनी पेचीदगियों में किसान को उलझाकर उसकी रोजी रोटी पर आक्रमण करेंगी तथा मुनाफा कमाएंगी।

आठवां, कृषि उत्पाद, खाने की चीजों व फल-फूल-सब्जियों की स्टॉक लिमिट को पूरी तरह से हटाकर आखिरकार न किसान को फायदा होगा और न ही उपभोक्ता को। बस चीजों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले मुट्ठीभर लोगों को फायदा होगा। वो सस्ते भाव खरीदकर, कानूनन जमाखोरी कर महंगे दामों पर चीजों को बेच पाएंगे। उदाहरण के तौर पर 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' की रबी 2020-21 की रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया कि सरकार किसानों से दाल खरीदकर स्टॉक करती है और दाल की फसल आने वाली हो, तो उसे खुले बाजार में बेच देती है। इससे किसानों को बाजार भाव नहीं मिल पाता। 2015 में हुआ ढाई लाख करोड़ का दाल घोटाला इसका जीता जागता सबूत है, जब 45 रु. किलो में दाल का आयात कर 200 रु. किलो तक बेचा गया था।

जब स्टॉक की सीमा ही खत्म हो जाएगी, तो जमाखोरों और कालाबाजारों को उपभोक्ता को लूटने की पूरी आजादी होगी।

नौवां, अध्यादेशों में न तो खेत मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण का कोई प्रावधान है और न ही जमीन जोतने वाले बंटाईदारों या मुजारों के अधिकारों के संरक्षण का। ऐसा लगता है कि उन्हें पूरी तरह से खत्म कर अपने हाल पर छोड़ दिया गया है।

दसवां, तीनों अध्यादेश 'संघीय ढांचे' पर सीधे-सीधे हमला हैं। 'खेती' व 'मंडियां' संविधान के सातवें शेड्यूल में प्रांतीय अधिकारों के क्षेत्र में आते हैं। परंतु मोदी सरकार ने प्रांतों से राय करना तक उचित नहीं समझा। खेती का संरक्षण और प्रोत्साहन स्वाभाविक तौर से प्रांतों का विषय है, परंतु उनकी कोई राय नहीं ली गई। उल्टा खेत खलिहान व गांव की तरक्की के लिए लगाई गई मार्केट फीस व ग्रामीण विकास फंड को एकतरफा तरीके से खत्म कर दिया गया। यह अपने आप में संविधान की परिपाटी के विरुद्ध है।

महामारी की आड़ में 'किसानों की आपदा' को मुट्ठीभर 'पूँजीपतियों के अवसर' में बदलने की मोदी सरकार की साजिश को देश का अन्नदाता किसान व मजदूर कभी नहीं भूलेगा। भाजपा की सात पुस्तों को इस किसान विरोधी दुष्कृत्य के परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

Shri Randeep Singh Surjewala said- Diabolical Conspiracy of Modi Government to Defeat Green Revolution. Modi Government is Akin to 'Corona Pandemic' - It's Attacking Lives & Livelihoods of Farmers. Attacking Farmers- Farm Labourers & Bartering Agriculture at the Doorsteps of Crony Capitalists.

Today, 'Bahubali' Modi Government writes a cruel 'black chapter' against India's agriculture, farmers, farm labourers and Agricultural Produce Market Committees (APMC). The draconian laws on agriculture will be a death knell for the future of farming in India.

BJP Government is hell-bent upon destroying the 'Anndata' farmer and bartering the agriculture at the altar of a handful of crony capitalists. 62 crores farmers and farm labourers are agitating across India. Over 250 farmers organisations are sitting in Dharna, on hunger strikes and are demonstrating across the length and breadth of India. Drunk with power and determined to serve the crony capitalists friends, Prime Minister Shri Narendra Modi continues to be blind to the agony of the farmers and suppress every voice of protest. Modi Government is dictatorially subverting the voice of farmers' representatives inside the Parliament and has unleashed a draconian 'Lathi-Danda Regime' on the protesting farming community.

PM Modi used the same specious arguments for bringing the three ordinances for doing away with the 'Right to Fair Compensation' law championed by Congress Party and Shri Rahul Gandhi. Travesty of justice is being replayed by the BJP while bringing the three anti agriculture laws, aimed at abolishing the livelihoods of farmers.

The interest of farmers & farm labourers cannot be subjugated and be subservient to the draconian majority of BJP in Parliament. Indian National Congress shall continue to take on the dark design of a draconian, dictatorial and anti farmer Modi Government, both inside and outside the Parliament, both from the Parliament to the towns and villages of India. We shall continue voice the pain and suffering of teeming millions. Our protests against the 'New Enslavement' of Agriculture by Modi Government are:-

Firstly, Abolishing the system of Grain Market-Vegetable Market i.e. APMC will totally destroy the 'Agriculture Produce Procurement System'. In such a scenario, the farmers will neither get the 'Minimum Support Price' (MSP) nor the price of their crop as per the market price. The true example of this is NDA ruled state of Bihar. In the year 2006, APMC Act i.e. Grain Markets were done away in the state. Today, the plight of farmers in Bihar has gone from bad to worse. Agents are purchasing the crops from the farmers at throw away prices and selling that crop in the other states at MSP garnering huge profit margins to themselves. In case, the Agriculture Produce Marketing System is scrapped throughout the country, the farmers- farm labourers would be the biggest loser and a handful of capitalist will make huge profits.

Secondly, Farmers get remunerative prices for their produce near their agricultural fields at grain market-vegetable market through community organisation of farmers and mutual competition among the customers in the markets. In the market, pre-determined 'Minimum Support Price' (MSP) is the benchmark to decide the price of agriculture produce. This is the only measure for the 'Price Discovery' i.e. price determination for the farmer's produce on the community basis. Grain-Vegetable Market System is the guarantee of fair prices, accurate weight and sale of farmer's produce. If the farmer's crop instead of being sold in the market on Community Purchase basis, is purchased at the agriculture field itself, in that case the farmer will lose the power of price determination, weight and bargaining for prices. Naturally, the farmer will suffer the losses.

Thirdly, The Modi Government claim, that now the farmer can sell his produce anywhere in the country, is a white lie. Even today, the farmer can sell his produce in any state. But, what is the factual truth? As far the agriculture census 2015-16, 86 per cent of farmers in the country own less than 5 acres of land. Average land holding is 2 acres or less than that. In such a situation, 86 percent of farmers cannot transport or ferry their farm produce to other place, but, have to sell at the nearest grain market-vegetable market. In the event of Mandi System getting abolished, it will directly do a deadly blow to the farmers.

Fourthly, Abolition of Mandi System shall snatch away the means of bread and butter and livelihood of the millions of labourers, commission agents, Munim, loaders, transporters, sellers etc.

Fifthly, with the scrapping of Grain-Vegetable Market System, the source of income of the states will also dry up. States through its earning from 'Market Fees' and 'Rural Development Fund' undertake infrastructure development in rural areas and incentivise agriculture. For example - Punjab procured 127.45 lakh tonnes of wheat, this wheat season. Punjab earned Rs 736 crores as market fees and an equal amount it got in the Rural Development Fund. Commission agents earned Rs. 613 crores as the commission. These amounts were not paid by the farmers, but, by the Government agencies like FCI and other Government agencies and private individuals, who procured wheat from these markets. With the scrapping of the Mandi System, the source of income of the states will automatically dry up.

Sixthly, Agriculture experts believe that under the garb of the ordinance, the Modi Government actually intends to implement the 'Shanta Kumar Committee Report' so that the Government is not compelled to make procurement at Minimum Support Price (MSP) through FCI and thereby save an amount of around Rs. 1 lakh crores annually. This will directly cause adverse effect on the agriculture and farming.

Seventhly, Through this ordinance, there is an intention to render the farmer merely a labourer in their own lands by getting him entangled in the contract system. Does a poor farmer with 2-5 acres of land holding will be able to frame, understand and sign sale-purchase contract with big companies? Clearly reply has been in the negative.

The biggest flaw in the contract farming ordinance is that giving Minimum Support Price (MSP) is not mandatory. When Mandi System is abolished, then farmer will be solely dependent on contract farming and the big companies will decide the price of the farmer's crop on his field at their own sweat will. If this is not a new 'Zamindari System', then what else it can be? Not only this, through contract farming, farmers would be left at the mercy of big companies, courts and bureaucracy in the event of any dispute. In such a scenario, powerful big companies will naturally exercise their influence on bureaucracy and will attack the livelihood of farmers by engaging them in the legal intricacies and earn profits.

Eighthly, Totally lifting the stock limit on the agriculture produce, consumable items and fruit-flower-vegetables shall neither benefit farmers nor the consumer. It will only benefit a handful of people indulging in hoarding and black marketing. They will be able to purchase at cheaper prices and then sell at higher prices after holding the stocks of these items legally, for example- it has been alleged in the 2020-21 'Rabi' report of the 'Agriculture Cost and Prices Commission' that the Government hold stocks of pulses after procuring them from the farmers and when the crop of pulses is about to arrive in the market, then it sells their stock in the open market. As a consequence of this, the farmers were unable to sell their produce of pulses at the market prices. Rs. 2.5 lakh crores pulse scam of 2015 is the living example of this trend, when pulses were imported at the rate of Rs. 45 per kg and sold at the price of Rs. 200 per kg.

When there will be no stock limit, then the hoarders and black marketers will be totally free to fleece the consumers.

Ninthly, In the ordinances, there is neither any provision for the protection of labourers rights nor for the protection of the rights of the persons, who are engaged in agriculture taking land on rent or on produce sharing basis. It seems that they have been left to fend for themselves.

Tenthly, These three ordinances are the direct attack on the federal structure of the country. 'Agriculture and Mandis' come under the purview of the State Governments under the 7th Schedule of the Constitution, but, the Modi Government didn't consider it worthwhile to take the state Governments in confidence on this issue. Protection and incentivising agriculture has been naturally the subject under the domain of the states, but, they were not consulted at all. On the contrary, market fees and rural development funds levied for the development of villages and agriculture was done away unilaterally, which is a flagrant transgression of constitutional provisions.

The Anndata farmer and labourers will never forget the conspiracy of the Modi Government to convert 'the disaster confronting the farmers' into an 'opportunity for the capitalists' under the garb of pandemic. The next seven generations of BJP will have to face the consequences of these anti-farmer misdeeds of the Government.

डॉ अमर सिंह ने कहा कि मेरे साथी बहुत सारी बातें बोल चुके हैं तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं उसको रिपीट न करूँ। मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि जो आज भी एमएसपी मिला रही है, वो पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में पैड़ी का, आंध्र में

पैडी का, मध्य प्रदेश में गेहूं का और फिर ओडिशा में पैडी का थोड़ा सा मिलता है, सारे हिंदुस्तान में अगर फसल को लिया जाए, तो 15-20 प्रतिशत फसल का एमएसपी मिलता है। इनको तकलीफ क्या है मैं उस पर आना चाहता हूँ सीधा। इनकी तकलीफ़ ये है कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो विश्व व्यापार संगठन है, ये मोदी जी और इनकी सरकार उनके प्रेशर में हैं। WTO चार बातें कहता है, वो कहता है, एग्रीकल्चरल सब्सिडी बंद करो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट बंद करो, ये जो स्टॉक लिमिट लगाई है, वो बंद करो और वो कहता है कि ये जो आप एक्सपोर्ट पर बैन लगा देते हो, वो बंद करो। इन्होंने आते ही शांता कुमार कमेटी बनाई 2014 में, मित्रों, शांता कुमार कमेटी की रेकमंडेशन देख लो अगर एग्जेक्टली, विश्व व्यापार संगठन के साथ फिट नहीं होती तो मेरे को कह देना कि आप झूठ बोलकर चले गए। वही सारी कि एफसीआई को खत्म करो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कम करो, प्राइवेट करो, सेन्ट्रल स्टॉकिंग न करो, ये सारी रेकमंडेशन वो कह रहे हैं और सब्सिडी कम करो, एफसीआई का और एग्रीकल्चर का सब्सिडी ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए 2015 की रिपोर्ट।

इन्होंने इसके पहले भी दो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, 2002 में जब एनडीए की सरकार थी, मित्रों, नेट पर अभी जाओगे, तो वो मिल जाएगा, इन्होंने स्टॉक लिमिट खत्म करी थी, स्टॉक लिमिट जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो इन्होंने खत्म की थी, व्यापारियों को खुली छूट दे दी थी और हालत ये हुई कि 2-3 साल में मुल्क में कोई फूड सिक्योरिटी के लिए जो बफर सिस्टम है, उससे भी आधा बच गया था, क्योंकि दिक्कत क्या है कि प्राइवेट आदमी के स्टॉक का कोई रिकॉर्ड नहीं है हिंदुस्तान में, उसके पास कितना चला गया कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हमको साढ़े पांच मिलियन टन इम्पोर्ट करना पड़ा था, 2005-06 में जाओ रिकॉर्ड देख लो, ये वही हालत लाना चाहते हैं मुल्क की, यहाँ चाहे प्रोड्यूस होगा, लेकिन जाएगा कहीं और क्योंकि वो तो इनके मित्र कर सकते हैं, अडानी-अम्बानी बड़े लोग कर सकते हैं।

दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं कि इससे किसान को बहुत फायदा होगा, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, इनकी अपनी सरकार है, बिहार में 2005 से, 2006 में नीतीश कुमार जी ने जो एपीएमसी एक्ट है, वो हटा दिया था, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट है, वो हटा दिया था, बिहार की हालत आज जाकर देखो, 2019 में उसकी स्टडी की गई नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने, रिपोर्ट अभी भी वेबसाइट पर है, उसका देखो न कोई प्राइवेट इंवेस्टमेंट आया, न तो एमएसपी मिली, किसान की हालत बद से बदतर हो गई, ये तो झूठ बोलने में माहिर हैं, इन्होंने किसानों को खत्म करनी है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें लाखों करोड़ का धंधा है एग्रीकल्चर, ये सिर्फ और सिर्फ और उसका दूसरा, जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट किया है, कभी- कोई सरकार ये लिखती है, कि अगर सौ रुपए की चीज हो, जब तक वो दो सौ रुपए की नहीं हो जाएगी, तो तब हम कार्यवाही नहीं करेंगे, वो एक्ट मे लिखा है कि सब्जियाँ और फल जब तक डबल प्राइस न हो जाएं, सरकार इंटरवीन नहीं करेगी और फूड ग्रेन जब तक 50 प्रतिशत न हो जाए। ये तो क्या कर रहे हैं भगवान मालिक है, कोई सरकार कहती है कि डबल प्राइस हो जाएं, हम लोगों का बजट 10 प्रतिशत-20 प्रतिशत पर डावांडोल हो जाता है, ये उसको सौ प्रतिशत तक करना चाहते हैं, किसको फायदा होगा? वो इनके मित्रों को फायदा होगा, ये प्राइवेट कंपनियों की सरकार है, कॉर्पोरेट की सरकार है, ये अंदर सारा झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है, मैंने अंदर भी विरोध किया, बाहर भी विरोध करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

On a question Shri Gaurav Gogoi said- अभी डिबेट शुरू हुई है, you will see many parties speaking on behalf of the farmers. But, we have to also see, parties like Akali Dal who are only putting a charade, only putting on a drama, only showing fake tears for the farmers of Punjab. If they were so concerned, Minister from Punjab Food Processing,

Harsimrat Kaur Badal Ji, she should have resigned, why being part of a Government that is beating farmers and killing the farming industry. So many parties are arrived, but, I question the parties which align to the ruling party.

श्री सुरजेवाला ने कहा कि ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई किसान और खेत-खलिहान की है, जो राजनीतिक दल, जो व्यक्ति, जो समूह, इस कानून के विरोध में नहीं खड़ा होगा, उसके साथ समय और इतिहास न्याय करेगा, वो दोषी कहलाएगा। इसीलिए चाहे वो बिहार में नितीश बाबू की पार्टी हो, चाहे वो ओडिशा का बीजू जनता दल हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस हो, चाहे वो टीआरएस हो, चाहे वो टीडीपी हो और चाहे वो अकाली दल हो और चाहे वो हरियाणा की जेजेपी हो, इन सबको निर्णय करना पड़ेगा कि वो पांच पूंजीपतियों के साथ, मोदी जी के कुशासन के साथ, किसान खेत-खलिहान की नीलामी के साथ खड़े हैं या किसान की रक्षा के साथ। मोदी जी के और बीजेपी के बारे में समझ सकता हूँ क्योंकि उनके लिए, भाजपा और मोदी जी के लिए किसान से कंगना रानौत ज्यादा जरूरी है पर 62 करोड़ किसान और ढाई सौ किसान संगठन जिनकी आजीविका और पेट पर लात मारी है, मोदी जी आपने 70वें जन्मदिन पर वो आपसे न्याय अवश्य करेंगे, भाजपा की 7 पुस्तों को इसका हिसाब देना पड़ेगा।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री गोगोई ने कहा कि अभी डिबेट चल रही है और जब आप विभिन्न विपक्षी दलों के भाषण देखेंगे, तो उनकी पोजीशन साफ हो जाएगी। अंत में जैसे कि सुरजेवाला ने कहा कि आज हर दल को ये सिद्धांत लेना पड़ेगा कि वो किसान विरोधी इस बिल के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं।

श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि छोड़ो पार्टी की तो बात, इनके एमपी अगर, हरियाणा की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, अगर इनके अगेन्स्ट नहीं होंगे तो इनको अंदर नहीं जाने देंगे, ये जो किसान संघ है आरएसएस का, किसान संघ, उसके ये प्रभाकर प्लेकर हैं, यू ट्यूब पर उनकी सारी रिपोर्ट है, जो उनके 16-08-2020 को दी है, खुद उन्होंने बोला है आरएसएस के जो किसान संघ है, उसने बोला है कि ये बिल वापस नहीं लेगी बीजेपी तो हम इनके अगेन्स्ट गांव-गांव में जाएंगे, ये किसान संघ है, आरएसएस के उसने बोला है, रिकॉर्ड है ये तो।

श्री गोगोई ने कहा कि आप लोग तो पार्लियामेंट के अंदर थे नहीं, आपको मैं बस एक सूचना देना चाहूंगा कि सदन की शुरुआत होने से पहले आज हमारे सारे कांग्रेस के साथी, सारे सांसद, हमने धरना प्रदर्शन किया, हम सबने प्लेकार्ड और मिट्टी के साथ हमने धरना प्रदर्शन किया, बाकी वो चीजें यहाँ अलाउड है, उनके पास अधिकार है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पहले दिन से श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश में किसान के साथ खड़ी है, हर चुनौती के समय हम किसान के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे।

खेती से संबंधित बिलों को जलाने को लेकर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री रवनीत सिंह ने कहा कि मिट्टी हमारी माँ है। जब माँ को छीनने की बात, जो माँ धरती से फसल उगाती है, उसकी हत्या करने का काम जो इन तीनों बिलों में आ रहा है, उन बिलों को जलाएं न तो क्या करें। जब किसान के गले को हाथ डाल दिया, उसके गले में फंदा डाल दिया तो वो बिल या वो ऑर्डिनेंस उसे तो जलाना ही जलाना है। हम अपनी माँ की रक्षा नहीं करेंगे, तो किसकी करेंगे। कौन दो लोग हैं, जय जवान, जय किसान का नारा दिया था। जवान आज चीन के बॉर्डर पर रोज वहाँ शहीद हो रहा है और किसान को मारने की तैयारी है, वो ये तीनों ऑर्डिनेंस में पार्लियामेंट में हो रही है इसलिए इन बिलों को जलाया है और आगे भी जोर से ऐसे किसी भी तरीके से भी इसका, जलने का जो सेक है वो किसान तक न जाए, वो बचाने के लिए हम सब लोग खड़े हुए हैं।

एक अन्य प्रश्न पर कि एक तो आप इसका विरोध कर रहे हैं हाउस के अंदर, बाहर किसानों के बीच में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कैसे जाएगी क्या प्रोग्राम है, और आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, आप बार-बार किसान के मुद्दे को

जन्मदिन के साथ जोड़ रहे हैं, आपके कई संगठनों में बेरोजगारी दिवस भी आज मनाया है, तो कई लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या कहेंगे, श्री सुरजेवाला ने कहा कि आपने मर्यादा का उचित प्रश्न उठाया है। इस देश की मर्यादा है क्या आदरणीय मित्र? इस देश की मर्यादा है, 'जय जवान, जय किसान', पर मोदी जी के शासन में 'मर किसान, मर जवान' में उसे तब्दील कर दिया गया है। मर्यादा की उल्लंघना तब होती है, जब देश में पिछले 60 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाए, काश ! मोदी जी का बेटा या बेटा होते, तब वो समझते कि बच्चा गुणी हो लायक हो, काबिल हो, हुनर हो, माहिर हो, पर रोजी-रोटी रोजगार न हो, उसकी पीड़ा क्या है। काश, मोदी जी और नरेन्द्र तोमर जी, हमारे सम्माननीय हैं, काश वो जमीन जोतते तो जानते कि जब आप किसान का मूल्य, जमीन दोनों छीन लेंगे, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य छीन लेंगे, जब आजीविका छीन लेंगे, तो कैसा महसूस होता है। मर्यादाओं का उल्लंघन भाजपा और भाजपा का नेतृत्व कर रहा है, कांग्रेस या किसान नहीं। कांग्रेस और किसान तो किसान और खेत मजदूर की रोजी-रोटी और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे नौजवानों के रोजगार की।

श्री रवनीत सिंह ने जोड़ा कि हमारा क्या कसूर है कि जन्मदिन के दिन वो बिल लेकर आ रहे हैं। 60 करोड़ लोगों के भविष्य की बात करें, या एक आदमी के जन्मदिन की बात करें।

एक अन्य प्रश्न पर कि आपने जीएसटी कंपंसेशन को लेकर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री गोगोई ने कहा कि जीएसटी के मामले में आदरणीय सोनिया गांधी जी ने विभिन्न सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस बारे में वार्तालाप की है। जीएसटी को लेकर हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के ने बार-बार चिट्ठियों के द्वारा ये जताया है कि जिस समय ये सारे राज्य सरकारों को और आर्थिक ताकत चाहिए ताकि वो कोविड संक्रमण से लड़ें, केन्द्र सरकार इस समय आर्थिक दुर्बलता की स्थिति पैदा कर रही है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि किसान की आजीविका छीनकर उसका खेत और खलिहान छीनकर, उसे अपने खेत में गुलाम बनाकर किसान खेत मजदूर और छोटे-छोटे आढ़ती को गुलामियों की बेड़ियाँ पहनाकर उसकी आय दोगुनी होगी कैसे ये बताइए। जब आदरणीय नरेन्द्र सिंह तोमर जी से और मोदी सरकार से ये सवाल पूछा गया कि किसान की आय दोगुनी होने के बारे में आपके पास क्या आंकड़े हैं तो जवाब आता है पता नहीं। किसान की आय दोगुनी कब तक होगी, तो मोदी सरकार का जवाब है कि पता नहीं। कितने प्रवासी मजदूर मर गए उन्हें पता नहीं। कितने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला, पता नहीं क्योंकि इस सरकार को शासन का पता ही नहीं, बंदर के हाथ में उस्तरा पकड़ा गया है और इसीलिए आज किसान हो या नौजवान हो, वो इस प्रकार से पीड़ित है।

श्री गोगोई ने जोड़ा कि बार-बार ये प्रश्न आ रहा है कि जन्मदिन की स्थिति पर आज हम इस प्रकार की बातें क्यों रख रहे हैं। आपने खुद कहा कि सरकार कहती है कि ये किसानों के पक्ष में हैं, सचमुच अगर ये किसानों के पक्ष में होते तो भारत का किसान आज मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएँ देता, लेकिन भारत का किसान आज फूल के साथ मोदी जी के लिए नहीं जा रहा, भारत का किसान अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी मांग के साथ मोदी जी के पास जाकर बोल रहा है कि ये बिल मेरे परिवार को खत्म कर देगा, ये बिल मेरे घर को उजाड़ देगा और जहाँ तक मेरा मानना है, इसका खेती के बारे में, कृषि क्षेत्र के बारे में मोदी जी और उनके मंत्रियों से ज्यादा, देश का किसान जानता है।

**Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC**